## ऑनलाइन गेमिंग का संवर्द्धन और विनियमन विधेयक, 2025

यह अधिनियम **ई–स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है,** इसे **अनुच्छेद 117(1) एवं 117(3)** के अंतर्गत वित्त विधेयक के रूप में **राष्ट्रपति की सिफारिश** पर प्रस्तुत किया गया।

### अधिनियम के प्रावधान

- **ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: रियल मनी वाले खेलों** की पेशकश, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करना वर्जित; बैंकों को भुगतान संसाधित करने से रोका गया; प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का उपयोग किया गया।
- **वर्गीकरण:**
  - **ई–स्पोर्ट्स**– वैध खेल के रूप में मान्यताप्राप्त; कौशल–आधारित, प्रतिस्पर्द्धी टूर्नामेंट।
  - **ऑनलाइन सोशल गेम्स** – कौशल–आधारित, मनोरंजन/सामाजिक संपर्क हेतु (उदाहरण: वर्डले)।
  - **ऑनलाइन मनी गेम्स** – जिसमें वित्तीय दाँव, शुल्क या जमा शामिल हों (जैसे– Dream11, पोकर, रम्मी)।
- **प्रभाव क्षेत्र:** संपूर्ण **भारत** में लागू; साथ ही उन प्लेटफॉर्मों को भी शामिल करता है, जो विदेश से संचालित होते हैं, जिन्होंने भारत में पहुँच बनाई है।
- **संवर्द्धन:**
  - **ई–स्पोर्ट्स** – युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दिशा–निर्देश तैयार करेगा, प्रशिक्षण अकादमियाँ और अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा।
  - **सामाजिक/शैक्षणिक खेल** – केंद्र सरकार सुरक्षित एवं आयु–उपयुक्त प्लेटफॉर्मों को मान्यता दे सकती है, पंजीकृत कर सकती है और बढ़ावा दे सकती है।
- **नियामक निकाय:** खेलों को वर्गीकृत/पंजीकृत करने, धन–आधारित खेलों की स्थिति तय करने, शिकायतों का समाधान करने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का नियामक; सरकारी अधिकारियों को **जाँच, तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी** की शक्तियाँ दी जाएंगी (कुछ मामलों में बिना वारंट के भी)।
- **दंड:**
  - ऑनलाइन धन–आधारित खेलों की पेशकश – **3 वर्ष की जेल + ₹1 करोड़ का ज़ुर्माना**
  - प्रतिबंधित खेलों का विज्ञापन – **2 वर्ष की जेल + ₹50 लाख का ज़ुर्माना**
  - **संज्ञेय और गैर–जमानती** अपराध
- **दायित्व प्रावधान:** कंपनियाँ और अधिकारी उत्तरदायी होंगे; **स्वतंत्र/गैर–कार्यकारी निदेशकों** को छूट दी जाएगी, यदि उन्होंने यथोचित परिश्रम (Due Diligence) प्रदर्शित किया हो।

| ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से संबंधित चिंताएँ | सुझाव |
|---|---|
| **नियामक अस्पष्टता –** राज्य स्तर के कानून विखंडित हैं; कौशल आधारित गेमिंग और जुआ में स्पष्ट भेद नहीं है। | **एक राष्ट्रीय नियामक निकाय की स्थापना;** स्पष्टता के लिये स्व–नियामक निकायों (SRB) को सुदृढ़ करना। |

| ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से संबंधित चिंताएँ | सुझाव |
|---|---|
| **अवैध जुआ और धन शोधन –** विदेशी प्लेटफॉर्म का पोषित होना; आतंक वित्तपोषण और रेमिटेंस मार्गों के दुरुपयोग का खतरा। | अवैध लेन-देन को रोकने के लिये **बैंकों** और पेमेंट गेटवे **के साथ सहयोग करना;** वास्तविक समय पर निगरानी; वैश्विक धन शोधन विरोधी सहयोग। |
| **व्यसन व्यवहार –** अत्यधिक खेलने से तनाव, वित्तीय नुकसान, आत्महत्या की प्रवृत्ति (23% युवा प्रभावित) होती है। | **आयु-सीमा,** व्यय सीमा, स्व-बहिष्करण उपकरण लागू करना; मानसिक स्वास्थ्य सहायता को एकीकृत करना; जन-जागरूकता अभियान चलाना। |
| **साइबर हमले –** डेटा उल्लंघन (वर्ष 2024 में 11 मिलियन खाते); VPN/जियो-ब्लॉकर बाईपास से जोखिम। | ऑडिट, एन्क्रिप्शन, घुसपैठ का पता लगाने के साथ **साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना**; डेटा सुरक्षा मानदंडों का पालन करना। |
| **वित्तीय जोखिम –** कमज़ोर उपयोगकर्त्ता अधिक खर्च करते हैं (₹17 लाख का PUBG मामला); भारतीयों को वार्षिक ₹20,000 करोड़ का नुकसान। | **ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना;** अभिभावकीय नियंत्रण लागू करना; उपभोक्ता संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करना। |
| **नवाचार समर्थन का अभाव –** डेवलपर्स के लिये सीमित बुनियादी ढाँचा और मार्गदर्शन। | **नवाचार और प्रतिभा विकास के लिये समर्पित गेमिंग हब** एवं इनक्यूबेटर (मॉडल: मॉन्ट्रियल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया) विकसित करना। |

## वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण हेतु छूट

FAC ने कोयला एवं खनन मंत्रालय के अनुरोध के बाद, **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** में वर्ष 2023 के संशोधन के अनुसार, **वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये संवर्द्धित छूटों** को स्वीकृति प्रदान की।

### छूट के कारण

- **बोरहोल सीमा:** वर्तमान में **पर्यावरण मंत्रालय 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 62-80 बोरहोल (6-इंच व्यास)** की अनुमति देता है; हालाँकि पहले के नियमों के अनुसार **25 बोरहोल + 80 शॉट होल + बिना अनुमति 100 तक** वृक्ष काटने की अनुमति थी।
  - **विस्तार का उद्देश्य:** महत्त्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और निकल) का दोहन करना।
- **व्यापार सुगमता:** मंज़ूरी में विलंबता को कम करता है।
- **निज़ी क्षेत्र: निवेश और भागीदारी** को प्रोत्साहित करता है।]
- **आर्थिक विकास: अवसंरचना, विनिर्माण, रक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी** को समर्थन देता है; परियोजनाओं के तीव्र, लागत-कुशल विकास को सुनिश्चित करता है।

| खनिज अन्वेषण और ड्रिलिंग में वृद्धि से संबंधित चिंताएँ | सुझाव |
|---|---|
| **पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव –** वनस्पतियों, जीवों और वर्षा पैटर्न पर संचयी प्रभाव। | **साझा पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे के साथ क्लस्टर खनन दृष्टिकोण;** पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों (संवहन प्रणालियाँ, बकेट स्टीयरिंग, लैंडफिल नियंत्रण) को अपनाना। |
| **स्थानीय समुदाय और जनजातीय अधिकार –** वन अधिनियम, 2006 के अधिकारों के साथ टकराव, सांस्कृतिक/धार्मिक स्थलों पर प्रभाव और वन-आधारित आजीविका। | **सख्त मानक संचालन प्रक्रियाएँ –** कोई ड्रिलिंग आर्द्रभूमि, प्रजनन/घोंसला बनाने वाले क्षेत्रों, या महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में नहीं; समय-निर्धारित प्रतिबंध लागू। |
| **FCA 1980 की जाँच को दरकिनार करना –** अन्वेषण को "वन गतिविधि" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, जिससे केंद्रीय निगरानी कम हो गई। | **गैर-हस्तक्षेपकारी तकनीकों** (भूभौतिकीय सर्वेक्षण, उपग्रह चित्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पूर्वानुमान, ड्रोन मानचित्रण) का उपयोग करना; विद्युत चालित ड्रिलिंग को कम करना। |

### महत्त्वपूर्ण खनिज

- **परिचय:** वे खनिज, जो किसी **देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक** हैं, जिनकी सीमित उपलब्धता या विशिष्ट क्षेत्रों में भंडार/निष्कर्षण का संकेंद्रण **आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों को जन्म** देता है।
- **भारत की स्थिति: 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों** (जैसे, बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, RRE, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम) की सूची जारी की; आयात पर निर्भरता अधिक है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये पहल:**

| श्रेणी | पहल |
|---|---|
| **नीति एवं नियामक ढाँचा** | **NCMM (2030 तक 1,200 भंडार); MMDR संशोधन अधिनियम, 2023; राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019** |
| **अन्वेषण एवं घरेलू उत्पादन** | **GSI** अन्वेषण; लिथियम खोज (2023, रियासी, जम्मू और कश्मीर); रणनीतिक भंडार (लिथियम, कोबाल्ट, आदि) की योजना |
| **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं व्यापार** | **KABIL (2019);** खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) |

## दुर्लभ–मृदा तत्त्वों पर भारत–म्याँमार समझौता

भारत म्याँमार के साथ साझेदारी कर रहा है, ताकि दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों के नमूने एकत्रित किये जा सकें। जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करके अपनी आपूर्ति शृंखला को विविधता प्रदान करना है।

### दुर्लभ पृथ्वी खनिज

- **परिचय:** 17 तत्त्व – 15 चाँदी–सफेद धातुएँ (लैंथेनाइड्स/लैंथेनॉइड्स) तथा स्कैंडियम एवं इट्रियम।
- **उपलब्धता:** प्रचुर मात्रा में, लेकिन विरल रूप से विस्तृत; निक्षेपों को ढूँढना कठिन और निकालना महँगा है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** निष्कर्षण में विलायकों का उपयोग होता है, जिससे विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं; कुछ अयस्कों में थोरियम/यूरेनियम होता है; स्वास्थ्य और नियामक संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **उपयोग:** इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, विमान इंजन, चिकित्सा उपकरण, तेल शोधन, मिसाइल, रडार में पाया जाता है।
- **सबसे बड़ा उत्पादक:** चीन – वैश्विक खदान उत्पादन का 60%, प्रसंस्कृत और स्थायी चुंबक उत्पादन का 90%।

#### भारत में दुर्लभ मृदा तत्त्व

- **भंडार: 5वें सबसे बड़े, 6.9 MMT**; देश में कोई मैग्नेट उत्पादन नहीं; मुख्यरूप से **चीन से आयात।**
- **खनन:** केवल **IREL (मिनीरत्न)** तक सीमित – **नाभिकीय और रक्षा उद्देश्यों** के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग को आपूर्ति।
  - REL का **ओडिशा में रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन प्लांट** और **केरल में रिफाइनिंग यूनिट** है।
  - IREL **वाणिज्यिक मैग्नेट निर्माण** हेतु **जापान/कोरिया** के साथ साझेदारी तलाश रहा है।
- **अन्वेषण: एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च (AMD)** तटीय, आंतरिक और नदी आधारित प्लेसर सैंड्स का अन्वेषण कर संसाधनों को बढ़ा रहा है।
- **नीति: नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM, 2025); GSI** वित्तीय वर्ष 2025–31 में **1,200 अन्वेषण परियोजनाएँ** संचालित करेगा।

#### दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व:

- स्कैंडियम,
- इट्रियम,
- लैंथेनम,
- सेरियम,
- प्रेजोडियम,
- नियोडिमियम,
- प्रोमेथियम,
- समैरियम,
- यूरोपियम,
- गैडोलीनियम,
- टेरबियम,
- डिस्प्रोसियम,
- होल्मियम,
- एर्बियम,
- थ्यूलियम,
- यटरबियम,
- ल्यूटेटियम

## एडीज़ मच्छरों के विरुद्ध भारत की रणनीति पर पुनर्विचार

भारत में एडीज़ मच्छरों द्वारा फैलने वाले डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका के मामलों में वृद्धि हो रही है, फिर भी अधिकारी कम प्रभावशाली धुआँ छिड़काव (Fumigation) वाली प्रक्रिया पर निर्भर हैं।

### एडीज़ मच्छरों को रोकने हेतु अपनाए गए उपायों की विफलता के कारण

- **मच्छरों का व्यवहार: दिन के समय** घर के अंदर और **कृत्रिम रोशनी** में काटना → बाह्य फॉगिंग अप्रभावी; धुआँ का **दीर्घकालिक प्रभाव कम होता** है।
- **रासायनिक प्रतिरोध: पाइरेथ्रॉइड वेपोराइज़र** और **टेमेफोस लार्विसाइड** के प्रति सहनशीलता।
- **उच्च लागत:** नवीन विधियाँ **(वोलबैचिया मच्छर, स्थानिक निरोधक) लागत और कमज़ोर समर्थन** के कारण कम उपयोग में हैं।
- **वैक्सीन:** चिकनगुनिया या ज़ीका के लिये **कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं;** डेंगू परीक्षण **(डेंगीऑल)** जारी हैं।

Most common
**mosquito-borne diseases**

| Mosquito | Type of Mosquito | Disease caused |
|---|---|---|
| | Aedes | Chikungunya<br>Dengue<br>Lymphatic filariasis<br>Rift Valley fever<br>Yellow Fever<br>Zika |
| | Anopheles | Lymphatic filariasis<br>Malaria |
| | Culex | Japanese encephalitis<br>Lymphatic filariasis<br>West Nile fever |

### सुझाव

- **धुँआ/फॉगिंग से स्रोत नियंत्रण :** सरकार को लार्वा स्रोत प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिये; दिल्ली के **"10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट"** जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- **सामुदायिक भागीदारी:** कैमिनो वर्डे **(Camino Verde)** परीक्षण (लैटिन अमेरिका) से साक्ष्य; वार्ड/गाँव में लामबंदी, आशा जागरूकता और **"डेंगू मुक्त भारत मिशन"** के माध्यम से इसे दोहराया जाना चाहिये।
- **किफायती कीट निरोधक: DEET–आधारित विकर्षकों को बढ़ावा** देना; जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करना।
- **नवाचारपूर्ण हस्तक्षेप: वोलबाचिया–संक्रमित मच्छरों का उपयोग** करना (ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार किया जा रहा है); टीके के विकास में सहायता प्रदान करना (सीमित प्रभावकारिता)।
- **अपशिष्ट प्रबंधन: ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक पुनर्चक्रण** को मज़बूत करना,साथ ही इसे **स्मार्ट शहरों एवं स्वच्छ भारत मिशन के साथ एकीकृत** करना।